सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-410/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 04 अक्टूबर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

लडकी को भगाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 01.10.2020 को मेहनगर थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 01.10.2020 को मेरी लड़की घर से दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए निकली थी जो वापस नही आयी। वादी की तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 148/20 धारा 366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस आधिक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण मे प्र0नि0 प्रशान्त श्रीवास्तव के निर्देशन मे आज दिनांक 04.10.2020 को जरिए दूरसंचार के सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 148/20 धारा 366 भा0द0वि0 मे अभियुक्त बलवन्त सिंह जो लडकी को भगाया था आज देवईत बाजार में कही फरार होने के लिए साधन का इन्तजार कर रहा है अगर त्वरित कार्यवाही की जाय तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है कि सूचना पर विश्वास करके मय हमराह का0 विजय प्रसाद , का0 राजेश यादव के रवाना होकर देवईत बाजार आया मुखबीर खास ने इशारा किया कि नीले टीशर्ट मे जो व्यक्ति बैग लेकर खडा है वही अभियुक्त है बलवन्त सिंह है कि यह बताकर मुखबीर कही हट बढ गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करते हुए अभियुक्त बलवन्त सिंह को देवईत बाजार से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 148/20 धारा 366 भा0द0वि0 थाना-मेंहनगर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- बलवन्त सिंह पुत्र साहब सिंह सपनहर रुद्रपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी-

1- अपहृता लड़की

2- 03 अदद मोबइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 रामकृपाल सोनकर , मय हमराह थाना-मेंहनगर, आजमगढ़।